



अनुमंडल कार्यालय सदर, भागलपुर

(आपूर्ति शाखा)



आदेश

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शाहकुण्ड के पत्रांक-106 दिनांक-09.03.2024 के माध्यम से अपने क्षेत्रान्तर्गत बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद 3339 राशनकार्ड में अंकित सदस्यों द्वारा आधार सीडिंग नहीं कराने के फलस्वरूप संबंधित राशनकार्ड से आधारविहीन सदस्यों का नाम विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।

अतएव उपरोक्त के आलोक में आदेश के साथ संलग्न सूची के अनुरूप यथा - शाहकुण्ड प्रखंड अंतर्गत 3339 राशनकार्ड में सन्निहित आधारविहीन सदस्यों (BLANK UNIT) को SUOMOTO DELETION हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शाहकुण्ड को निर्देश दिया जाता है कि अपनी निगरानी में संबंधित कार्यपालक सहायक से ONLINE DELETION कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, भागलपुर।

ज्ञापनांक :- 13-25(ix) / 2023-776 / आ10 दिनांक :- 20 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शाहकुण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कार्यपालक सहायक, प्रखंड शाहकुण्ड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, भागलपुर।